भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 931
22.11.2019 को उत्तर के लिए

वर्मिन प्रजातियों को मारने पर विनियम

931. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्मिन प्रजातियों को मारने संबंधी कोई विनियम है ताकि उनकी जनसंख्या का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार वर्मिन प्रजातियों की सूची में प्रजातियों को शामिल करने की निगरानी करने हेतु एक निकाय स्थापित करने के साथ-साथ और यह भी सुनिश्चित करने का है कि सतत रूप से उनका नाश किया जा सके तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय मौजूद है कि वर्मिन प्रजातियों से मानव हितों के संरक्षण हेतु स्थापित किए गए विद्युत बाड़, फंदे, जाल जैसे उपायों के कारण अन्य प्रजातियों को संपार्श्विक क्षति न हो;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार, अधिसूचना जारी करके, अनुसूची-। और अनुसूची-।। के भाग-।। में विनिर्दिष्ट किए गए वन्य प्राणियों के अलावा, किसी भी अन्य वन्य पशु को किसी क्षेत्र के लिए वर्मिन घोषित कर सकती है और ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सकती है और जब तक ऐसी अधिसूचना प्रभावी है, ऐसे वन्य पशुओं को अनुसूची- V में शामिल हुआ समझा जाएगा।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से किसी पशु को वर्मिन के रूप में घोषित करने संबंधी प्रस्ताव औचित्यपूर्ण ढंग से प्राप्त होने पर ऐसे वन्य पशुओं को वर्मिन के रूप में अधिसूचित करने में सक्षम है। विगत में मंत्रालय ने राज्य सरकार से आग्रह प्राप्त होने पर कुछ वन्य पशुओं को वर्मिन के रूप में अधिसूचित किया है।

(ग) और (घ) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार किसी वन्य या बंधक पशु को पकड़ना, कुत्तों के सहारे शिकार करना, जाल लगाकर पकड़ना, फंदा लगाकर फांसना, हांकना या सताना सहित शिकार करना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 के तहत प्रतिबंधित है।

(ड.) सरकार द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

i. मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामश: 'बाघ परियोजना', 'हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव वास-स्थलों का विकास (डीडब्ल्यूएच)' के माध्यम से वास-स्थलों में सुधार करने के कार्यों, नामश: प्राकृतिक जल पिंडों की बहाली करने, कृत्रिम तालाबों का निर्माण, पानी के गड्ढों, सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर घास/चारे की मात्रा में संवर्धन करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निधियां प्रदान करता है।

ii. वन्य पशुओं और उनके वास-स्थलों को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव वास-स्थलों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वों का एक नेटवर्क सृजित किया गया है।

iii. फसलों वाले खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीली तारों की बाड़ लगाने, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़े, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव-बाड़े, चारदीवारी जैसे वास्तविक अवरोधकों का निर्माण करना/स्थापित करना।

iv. मंत्रालय ने वन्यपशुओं की संख्या के प्रबंधन के लिए ''प्रतिरक्षक-गर्भनिरोधक उपाय'' से संबंधित परियोजना अनुमोदित की है।

v. मंत्रालय ने मानव-वन्य जीव संघर्ष के संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 और 01 जून, 2015 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vi. सुरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव बहुल क्षेत्रों से गुजर रहे रेलवे ट्रैकों, सड़कों/राजमार्गों और विद्युत पारेषण लाइनों जैसी संरेखीय अवसंरचनाओं के साथ-साथ वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव का शमन करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी संरेखीय अवसंरचना विकास अभिकरण, डब्ल्यूआईआई दिशानिर्देश, ''वन्यजीवों पर संरेखीय अवसंरचना के प्रभाव का शमन करने के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल उपाय'' के आधार पर वन्यपशु मार्ग योजना प्रस्तुत करेंगे। ये दिशानिर्देश पारिस्थितिकीय हितैषी संरचना उपलब्ध कराने के उपाय के द्वारा संरेखीय अवसंरचनाओं के डिजाइन में संशोधन करने का सुझाव देते हैं जिसमें इन संरेखीय अवसंरचनाओं के आर-पार वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।

vii. मीडिया के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार करने सहित मानव-पशु संघर्ष के विषय में सामान्य जनता को मार्गदर्शन देने और परामर्श देने की प्रक्रिया को सुग्राही बनाने के लिए आवधिक जागरूकता अभियान चलाना।

*****